

12<sup>7</sup>/<sub>18</sub>.



पत्रावली पेश हुई। वकील-हार्थी अपन।  
वकील हार्थी ने पूर्व में भेजे गये जाने  
के बावजूद अप्रार्थीगण की तलवी हेतु  
नोटिस तलवाना पेश नहीं किये हैं।  
अज भी नोटिस तलवाना पेश नहीं किया  
गया। अतः पत्रावली तलवी के अभाव  
में खारिज की जाती है। पत्रावली के सव  
शुमार होकर, नम्बर से कम होकर  
बाद तलवी तलमीक बाखिल दफ्तर ही

मोहन  
सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
जलंधर

2.  
3.  
4.  
5  
10  
11